

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /03/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निर्मांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र./दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ.निहारिका आर्य	26.02.2014 से 25.02.2015	48309/11.12.2017	चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर।
2	डॉ.सचिन जैन	16.12.2010 से निरंतर	9419/0103.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर।
3	डॉ.प्रतीक आर्य	03.03.2017 से 02.03.2018	3803/05.03.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/ 405

भोपाल, दिनांक 16/03/2018

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, मप्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
3. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार मप्रमेडिकल कॉन्सिल, सॉची कॉम्प्लेक्स भोपाल मप्र।
5. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. संबंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश**

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/ 395
प्रति,

भोपाल, दिनांक /03/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश ।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत ।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र. /दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ.निशान्त प्रभाकर	24.01.2017 से 14.07.2017	22278/14.07.2017	चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
		14.07.2017 से 22.02.2018	3249/22.02.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
2	डॉ.केशव मिड्डा	01.03.2017 से 28.02.2018	9435/01.03.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर
3	डॉ.अपूर्वा श्रीवास्तव	25.04.2016 से 11.08.2017	5586/11.08.2017	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
4	डॉ.योगेश पावडे	10.12.2014 से 29.04.2016	11528/29.04.2016	चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
5	डॉ. गीतिका भारद्वाज	21.06.2016 से 20.06.2017	1266/06.03.2018	जिला चिकित्सालय दतिया।
6	डॉ.चन्द्रकांता धुर्वे	05.05.2016 से 30.06.2017	6859/12.10.2017	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
7	डॉ.ज्योति नामदेव	06.03.2017 से 07.03.2018	962/09.03.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
8	डॉ. विनोद कुमार	12.08.2016 से 16.09.2016	8245/06.12.2017	जिला चिकित्सालय अनूपपुर।
9	डॉ. प्रतिभा बामने	09.01.2017 से 28.02.2018	8369/12.03.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
10	डॉ. अलोक कुमार गुप्ता	27.06.2011 से निरंतर	37 / 04.01.2018	जिला चिकित्सालय पन्ना।
11	डॉ. स्मृति गुप्ता	27.06.2011 से निरंतर	36 / 04.01.2018	जिला चिकित्सालय पन्ना।
12	डॉ. रूपेश वर्मा	06.10.2016 से निरंतर	1271/06.03.2018	जिला चिकित्सालय सिधी।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ० क्र.1 जी/विज्ञाप/सेल-संविदा/18/396

भोपाल,दिनांक 24/03/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
3. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार म०प्र०मेडिकल कॉन्सिल, साँची कॉम्प्लेक्स भोपाल म०प्र०।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना, सीधी, अनूपपुर, दतिया मप्र।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय/स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश**

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /02/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश ।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत ।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र. /दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. प्रीति निगोतिया	25.01.2017 से निरंतर	6662/22.02.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
2	डॉ. सुरजीत सिंह राजपूत	31.12.2016 से 28.02.2018	1172/28.02.2018	जिला चिकित्सालय दमोह।
3	डॉ. पंकज सिंह सिकरवार	23.06.2016 से 23.06.2017	12344/13.09.2017	जिला चिकित्सालय श्योपुर।
4	डॉ. अनिल कुमार कारपेती	12.01.2017 से निरंतर	1093/15.02.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
5	डॉ. अनिल जामोद	16.01.2017 से निरंतर	1086/13.02.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
6	डॉ. अजय सौलंकी	09.11.2016 से निरंतर	2679/22.02.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर।

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7/02/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/362
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल ।
3. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
4. रजिस्ट्रार म०प्र०मेडिकल कॉन्सिल, सॉची कॉम्प्लेक्स भोपाल म०प्र० ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह एवं श्योपुर म.प्र.।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु ।
7. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ ।

(अपर संचालक (प्रशासन))
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /02/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ,4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र. /दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. अनुपम जैन	29.12.2016 से 28.12.2017	477/08.02.2018	जिला चिकित्सालय टीकमगढ़।
2	डॉ. अंकित उपाध्याय	19.09.2016 से निरंतर	7457/13.11.2017	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
3	डॉ. प्रियंका कनेल	16.01.2017 से निरंतर	543/19.04.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
4	डॉ. माधुरी सिंहरे	07.01.2017 से 02.02.2018	6642/22.02.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।

//
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24/02/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/ 317

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
3. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार म०प्र०मेडिकल कॉन्सिल, साँची कॉम्प्लेक्स भोपाल म०प्र०।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ़ म.प्र.।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

24 FEB 2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /02/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र. /दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. सुधांशु यादव	24.10.2016 से 23.10.2017	664/25.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
2	डॉ. विनोद दांगी	19.11.2016 से 19.11.2017	12943/24.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
3	डॉ. श्रेयश पाण्डे	13.10.2016 से 06.11.2017	11362/09.11.2017	जिला चिकित्सालय बुरहानपुर।

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21/02/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/294

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
3. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार म०प्र०मेडिकल कॉन्सिल, सॉची कॉम्पलेक्स भोपाल म०प्र०।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुरहानपुर म.प्र.।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश**

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /02/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र./दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. नरेश सोलंकी	10.11.2016 से 18.01.2018	514/19.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
2	डॉ. अनुपमा शर्मा	21.06.2016 से 11.09.2017	1889/13.02.2018	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयपुर, श्योपुर।
3	डॉ. कृष्ण बिहारी गौतम।	27.08.2013 से निरंतर (नियमित)	-/30.01.2018	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरी, उमरिया।
4	डॉ. नरेन्द्र प्रसाद तिवारी।	19.12.2016 से 19.12.2017	883/02.02.2018	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमदरा, सतना।
5	डॉ. प्राची हजारी	27.09.2016 से निरंतर	474/19.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर।

11
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19/02/2018

पृ0 क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/ 239
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
3. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार म0प्र0मेडिकल कॉन्सिल, सॉची कॉम्प्लेक्स भोपाल म0प्र0।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुर, उमरिया एवं सतना म.प्र.।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

19/2
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश**

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /02/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार मप्र शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के पश्चिन्त्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र./दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. सतेन्द्र मिश्रा	29.12.2016 से 28.12.2017	885/02.02.2018	सिविल अस्पताल, मेहर जिला सतना
2	डॉ. संजीव कुमार लोधी	13.12.2016 से 29.06.2017	775/06.02.2018	जिला चिकित्सालय, रायसेन
		30.06.2017 से 30.01.2018	4401/02.02.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
3	डॉ. मधुगंधा वाहने	06.09.2016 से 11.09.2017	6192/12.09.2017	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर
4	डॉ. प्रणव त्यागी	04.10.2016 से 03.10.2017	663/25.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, सागर

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक /2/02/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/186

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
3. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार म०प्र०मेडिकल कॉन्सिल, सॉची कॉम्प्लेक्स भोपाल म०प्र०।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल मप्र।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

(अपर संचालक (प्रशासन))
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश**

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /-01/2018
2

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार मप्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र./दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. कालू सिंह रावत	09.09.2016 से निरंतर	617/27.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर
2	डॉ. उर्वशी सक्सेना	15.08.2016 से 16.08.2017	33833/24.08.2017	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर
3	डॉ. चन्द्रभान सिंह ठाकुर	21.03.2016 से 22.09.2016	28691/05.12.2017	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोरदेही, बैतूल।
		26.09.2016 से 01.04.2017	2199/03.04.2017	चिकित्सा महाविद्यालय सागर
4	डॉ. प्रियंका सारिवान	03.09.2016 से 04.10.2017	2942/24.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल


//
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 02/01/2018
02

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/143-44
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. रजिस्ट्रार म0प्र0मेडिकल कॉन्सिल, सॉची कॉम्प्लेक्स भोपाल म0प्र0।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल मप्र।
7. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
8. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संघालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,


भोपाल, दिनांक /01/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय — बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र./दि.	पदस्थाना स्थान
1	डॉ. ब्रज मोहन साहू	17.01.2017 से 16.01.2018	2698/23.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
2	डॉ. नरेन्द्र पटेल	18.01.2017 से 17.01.2018	2697/23.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
3	डॉ. राजेश कुमार मिश्रा	16.01.2017 से 15.01.2018	2348/19.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
4	डॉ. नियति हेड़ाउ	24.02.2015 से 13.12.2017	1097/15.01.2018	जिला चिकित्सालय रतलाम
5	डॉ. ज्योति चौहान	24.10.2016 से 23.10.2017	21643/12.12.2017	सिविल अस्पताल जावरा, रतलाम
6	डॉ. पुष्पांजलि पाठक	19.07.2016 से 20.07.2017	30566/27.07.2017	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर
7	डॉ. नरेन्द्र जाटव	24.03.2016 से 23.03.2017	12603/25.07.2017	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नामली, रतलाम।
8	डॉ. रुद्री अग्रवाल	21.06.2016 से 31.07.2017	7650/10.11.2017	जिला चिकित्सालय देवास।
9	डॉ. महेश त्रिवेदी	18.06.2016 से 30.09.2017	2082/23.01.2018	जिला चिकित्सालय उज्जैन।



 25/11
 (विवेक श्रोत्रिय)
 अपर संचालक (प्रशासन)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
 मध्यप्रदेश

25 JAN 2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/129
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

भोपाल,दिनांक 25/01/2018

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल ।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
5. रजिस्ट्रार म०प्र०मेडिकल कॉन्सिल, साँची कॉम्प्लेक्स भोपाल म०प्र० ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम, देवास एवं उज्जैन म.प्र. ।
7. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु ।
8. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ ।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /01/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र. /दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. देवेश नेमानी	21.06.2016 से 20.06.2017	8503/18.07.2017	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी, कटनी।
2	डॉ. कमल प्रीति कौर माईखेल	20.06.2016 से 20.06.2017	10092/08.09.2017	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मउगंज, रीवा।

//
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18/01/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/91

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी एवं रीवा म.प्र.।
6. रजिस्ट्रार म०प्र०मेडिकल कॉन्सिल, साँची कॉम्प्लेक्स भोपाल म०प्र०।
7. प्रमारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
8. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

18/1/18
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/

भोपाल, दिनांक /01/2018

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

==00==

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ,4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र. /दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. योगिता निमजे	06.01.2017 से 06.01.2018	701/ 06.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

//
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16/01/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/70

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. रजिस्ट्रार म0प्र0मेडिकल कॉन्सिल, साँची कॉम्प्लेक्स भोपाल म0प्र0।
6. ✓ प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

16 JAN 2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञाप/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /01/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ,4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र./दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. स्वाति सारस्वत	10.10.2016 से 11.10.2017	40927 / 13.10.2017	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर

//
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 12/01/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञाप/सेल-संविदा/18/ 59-60
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. रजिस्ट्रार म.प्र.मेडिकल कॉन्सिल, सॉची कॉम्प्लेक्स भोपाल म.प्र.।
6. प्रमारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

12/1/18
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /01/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक एवं दो वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र. /दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. रंजीता डाडोरिया	07.10.2016 से 06.10.2017	31627 / 17.10.2017	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
2	डॉ. आशीष प्रताप सिंह	31.12.2016 से 30.12.2017	67 / 02.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय रीवा
3	डॉ. गिरीश त्यागी	16.08.2016 से निरंतर	248 / 06.01.2018	चिकित्सा महाविद्यालय सागर
4	डॉ. आशिष साहू	27.07.2016 से 26.07.2017	8109 / 21.12.2017	चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर
5	डॉ. नितेश मुदगल	29.05.2015 से 08.07.2016	640 / 08.01.2018	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झुण्डपुरा, मुरैना
6	डॉ. प्रशांत खुरैया	09.11.2016 से निरंतर	16934 / 21.11.2017	चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर
7	डॉ. मोहित नरेड़ी	10.11.2016 से निरंतर	16933 / 21.11.2017	चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर
8	डॉ. कृष्णासिंह वास्केल	23.06.2010 से निरंतर (नियमित बंधपत्र दो वर्ष)	194 / 04.01.2018	जिला चिकित्सालय खण्डवा
9	डॉ. सत्यनारायण पाटिदार	02.08.2013 से 31.12.2014	37 / 02.01.2015	चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर
10	डॉ. प्रियंका भोज	04.10.2016 से निरंतर	7033 / 02.01.2017	चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

(विवेक श्रीत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
भोपाल, दिनांक 09/01/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/ 39
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना एवं खण्डवा।
6. रजिस्ट्रार म०प्र०मेडिकल कॉन्सिल, सॉची कॉम्प्लेक्स भोपाल म०प्र०।
7. प्रमारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
8. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

91118
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /01/2018

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय - बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार मप्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञप्त/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिच्छेद में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र./दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. अलकनंदा गुप्ता	10.12.2016 से 09.12.2017	9757/20.12.2017	जिला चिकित्सालय धार।
2	डॉ. प्रियंका सिंह	14.10.2016 से 09.12.2017	38462/26.12.2017	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
3	डॉ. शिप्रा मडराह	21.11.2016 से 03.06.2017	18390/07.06.2017	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
		05.06.2017 से निरंतर	8111/21.12.2017	चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर।
4	डॉ. निकिता गुप्ता	27.04.2016 से 22.07.2017	29120/03.11.2017	जिला चिकित्सालय मुरैना।
5	डॉ. निधि तेकाम	13.10.2016 से 12.10.2017	28/03.01.2018	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया, मण्डला।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4/01/2018

पृ० क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/ 14
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, मप्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मप्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. समस्त अविष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. रजिस्ट्रार मप्रमेडिकल कॉन्सिल, सींची कॉम्प्लेक्स भोपाल मप्र।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार, मुरैना एवं मण्डला मप्र।
7. प्रमारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
8. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

411
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र. 1 जी/विज्ञाप/सेल-संविदा/17/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /12/2017

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय – बंधपत्र सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति बाबत।

बंधपत्र के अनुक्रम में एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत विभाग में तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में बंधपत्र अवधि पूर्ण करने वाले निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अवधि अनुसार मप्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 01 जी/ विज्ञाप/ सेल- संविदा/11/2943-44 दिनांक 02.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंध पत्र अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	सेवा अवधि	प्रमाण पत्र क्र./दि.	पदस्थापना स्थान
1	डॉ. खुशबू वर्मा	28.12.2015 से 30.09.2016	931/09.06.2017	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
		10.07.2017 से 10.11.2017	13064/21.12.2017	जिला चिकित्सालय खरगोन
2	डॉ. अभिषेक शर्मा	06.08.2016 से 05.08.2017	33820/24.08.2017	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर
3	डॉ. अरुणिका परिहार	13.10.2016 से 12.10.2017	5729/08.12.2017	जिला चिकित्सालय शिवपुरी

//
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

पृ० क्र.1 जी/विज्ञाप/सेल-संविदा/17/ 4782
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

भोपाल,दिनांक 28/12/2017

1. प्रमुख सचिव, मप्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल। 21/12/2018.
2. प्रमुख सचिव, मप्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. रजिस्ट्रार मप्रमेडिकल कॉन्सिल, सॉची कॉम्प्लेक्स भोपाल मप्र।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी एवं खरगोन मप्र।
7. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर पोर्टल पर अपलोड हेतु।
8. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।

CD
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

02 JAN 2018